

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 9 नवम्बर, 2016

संख्या 22/एसटी-1/ह0अ0 6/2003/धा0 59 /2016. – चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है ;

अब, इसलिए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप-धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ग में प्रथम अप्रैल, 2016, से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 72 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"72 रेल कोचिज, इन्जनस, वैगन्स तथा सभी प्रकार की रेलवे ट्रैक मशीन तथा उनके कल पुर्जे।";

संजीव कौशल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी व कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 9th November, 2016

No. 22/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2016. - Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 read with proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule C appended to the said Act with effect from the 1st April, 2016, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule C, under columns 1 and 2, for serial number 72 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“72 Rail Coaches, engines, wagons and **all types of railways track machines,**
spares and parts thereof”;

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.